न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम् औरंगाबाद
उपस्थितः उमेश प्रसाद
जमानत याचिका सं0 282/2026 सलैया थाना काण्ड सं0 85/2025
बिहार सरकार बनाम् असलम खान उर्फ सिकन्दर खान

दिनांक 09.04.2026

अभियुक्त असलम खान उर्फ सिकन्दर खान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका संख्या– 282/26 दिनांक 10.03.2026 सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत।

यह जमानत याचिका सलैया थाना काण्ड सं0 85/2025 दिनांक 09.08.2025 अन्तर्गत धारा– 309/(4), 3(5) B.N.S. में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम के समक्ष दाखिल जमानत आवेदन के अस्वीकृत आदेश दिनांक 23.02.2026 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर मुख्य अभियोजक को प्रदान किया गया। इस मुकदमें से संबंधित केस डायरी अभिलेख पर उपलब्ध है। उभय पक्ष उपस्थित।

जमानत आवेदन को चालित करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया कि इस आवेदन के अतिरिक्त इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक पर जहानाबाद थाना कांड संख्या– 449/2025 में आवेदक नामित अभियुक्त नहीं था, मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक दिनांक 15.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के पास से इस मामले में संलिप्तता के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे चोरी की भेड़ आदि बरामद नहीं किया गया है। आवेदक असलम खान उर्फ सिकन्दर खान को उसके संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जिसका कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। घटना में अभियुक्त का क्या योगदान है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। संपोषित साक्ष्य के अभाव में जान–बूझकर आवेदक को इस मुकदमें में फॅसाया गया है। इस मुकदमें के अन्य अभियुक्त रवि कुमार को इस न्यायलय के द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया जा चुका है तथा अभियुक्त धनंजय कुमार को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका Criminal Miscellaneous No- 8447/2025 के द्वारा जमानत की सुविधा दिया जा चुका है। आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाय।

विद्वान अपर मुख्य अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए बहस किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा वादी कृष्णा पाल एवं उसके साथियों से गाली–गलौज करते हुए बन्दुक का भय दिखाकर करीब 300 भेड़ को पिकअप में लादकर ले जाया गया। अभियुक्त असलम खान उर्फ सिकन्दर खान ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में संलिप्त होने की बात स्वीकार किया है, जिसका समर्थन अन्य सह–अभियुक्तों द्वारा किया गया है। अतः जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। सूचक कृष्ण पाल के द्वारा थानाध्यक्ष सलैया के समक्ष लिखित आवेदन दाखिल किया गया है। दिनांक 07.08.2025 को वो अपने साथियों राजेन्द्र पाल, नागेश्वर पाल, महेश पाल, नारायण पाल, तुलसी पाल एवं बालेश्वर पाल के साथ करीब 1500 भेड़ चराने के लिए ग्राम बुन्दी विगहा, थाना– सलैया, जिला– औरंगाबाद में पहुॅचे थे। बुन्दी विगहा से पश्चिम द्वारपाल स्थान दिन में भेड़ चराकर रात्रि में ठहरे थे कि लगभग 01 बजे रात्रि में अज्ञात लोग थे, ने भाला, गड़ासा एवं बन्दुक तथा दो पिकप वैन के साथ आए और गाली–गलौज करते हुए बन्दुक का भय दिखाकर हमलोगों से कहा कि हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। उन सभी ने हाथ रस्सी से बांध दिया और मुॅह–ऑख को भी कपड़ा से बांध दिया तथा भेड़ की झुण्ड में घुसकर चुन–चुन कर 301 भेड़ दोनों पिकप में लाद कर लेकर चला गया। घटना के बाद 112 नंबर पर फोन किया, तो लगभग 04 बजे पुलिस पहुॅची तथा हमलोगों की जान बचाई।

सूचक कृष्ण पाल के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध सलैया थाना कांड संख्या– 85/ 2025 अन्तर्गत धारा– 309/(4), 3(5) B.N.S. के तहत् दर्ज हुआ। अभिलेख में संलग्न केस डायरी में दर्ज अभियुक्त और आवेदक असलम खान उर्फ सिकन्दर खान के संस्वीकारोक्ति बयान के अनुसार सुरज कुमार, धनंजय कुमार एवं रवि कुमार के साथ

मिलकर पिकअप वैन, जिसका नंबर– BR02GB-4280 को सलैया थाना अन्तर्गत ग्राम बुन्दी विगहा स्थित द्वारपाल पहाड़ के पास पहुँचे तथा भेड़ के पास में सोये हुए सभी गड़ेरियों को सोए अवस्था में लाठी, डण्डा, हथियार का भय दिखाकर हाथ–पैर तथा मुँह– ऑख भी बांध दिया और हम सभी मिलकर पिकअप वैन में भेड़ लादकर भाग गए। अभियुक्त के स्वस्वीकारोक्ति बयान की संपुष्टि अभियुक्त रवि कुमार ने अपने बयान में किया है। उक्त डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई भेड़ अथवा घटना में शामिल होने संबंधी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। विवेचक के द्वारा अभियुक्त का पहचान परेड भी नहीं कराया गया है। अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य के बयान तथा अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में बिताए अवधि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त असलम खान उर्फ सिकन्दर खान को 25,000X2 बंध पत्र तथा इतनी ही राशि निजी मुचलका दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है कि :–

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगा।
2. अभियुक्त साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
3. आरोप गठन होने तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
4. अभियुक्त का एक जमानतदार उसके परिवार का सदस्य होगा।
5. अभियुक्त समान प्रकृति का पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्